2024 का हरियाणा विधेयक संख्या............

हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2024

ट्रैवल एजेंटों की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, अखण्डता सुनिश्चित

करने और उनकी अवैध और कपटपूर्ण गतिविधियों की जांच

करने और अंकुश लगाने, हरियाणा राज्य के निवासियों

के हितों की रक्षा करने के लिए ढांचा स्थापित

करने और उससे सम्बन्धित या उसके

आनुषंगिक मामलों

के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पचहतरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः-

|  |  |
| --- | --- |
| संक्षिप्त नाम, तथा प्रारम्भ। | 1. (1) यह अधिनियम हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन अधिनियम, 2024 कहा जा सकता है। 2. यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा। |
| परिभाषाएं । | 1. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, - 2. “अपील प्राधिकारी” से अभिप्राय है, राज्य सरकार द्वारा, आदेश द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपील प्राधिकारी के रुप में नियुक्त कोई अधिकारी; 3. “धोखाधड़ी” का वही अर्थ होगा, जो भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 415 में इसे दिया गया है और इसमें धारा 416 मे यथा परिभाषित प्रतिरुपण द्वारा की गई धोखाधड़ी भी शामिल है; 4. “सक्षम प्राधिकारी” से अभिप्राय है, राज्य सरकार द्वारा, आदेश द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारी के रुप में नियुक्त कोई अधिकारी ; 5. “आश्रित” से अभिप्राय है, कोई भी व्यक्ति, जो प्रवासी पर निर्भर है या जिसका उस प्रवासी से रक्त का सम्बन्ध है; 6. “यन्त्र” से अभिप्राय है, ऐसी कोई मशीनरी या उपकरण, जो कोई जाली या नकली दस्तावेज बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है या उपयोग किए जाने हेतु आशयित है; 7. “दस्तावेज” से अभिप्राय है, भौतिक या इलेक्ट्रानिक रुप में कोई शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, अध्ययन, प्रवासन या कार्य करने के लिए अंग्रेजी भाषा की परीक्षा हेतु प्रमाण-पत्र, ट्रैवल पेपर, वीजा, टिकट या पासपोर्ट, जो पर्यटन या प्रवास के प्रयोजन के लिए योग्यता के समर्थन में साक्ष्य के रुप में उपयोग किया जा सकता है या उपयोग किया जाना आशयित है; 8. “प्रवासी” से अभिप्राय है, भारत का कोई नागरिक, जो किन्हीं प्रयोजनों जैसे अध्ययन, कार्य, पर्यटन इत्यादि के लिए प्रवास करने के लिए आशयित है या प्रवास करता है या भारतसे बाहर प्रवास कर गया है; 9. “मानव तस्करी” से अभिप्राय होगा और इसमें भारत से बाहर किसी व्यक्ति का अवैध रुपर से निर्यात करना, भेजना या परिवहन करना या उत्प्रेरित करके, फुसलाकर या धोखा देकर या धोखाधड़ी करके उससे या उसके माता-पिता, रिश्तेदारों या उसके कल्याण में रुचि रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति से धन प्राप्त करके किसी प्रकार की सुविधा भी शामिल है; 10. “अवैध रुप से अर्जित सम्पत्ति” से अभिप्राय है, कोई भी सम्पत्ति, चाहे चल या अचल हो, जो इस अधिनियम के उपबन्धों की उल्लंघना करते हुए किसी ट्रैवल एजेंट द्वारा अवैध साधनों से अर्जित की गई है; 11. “पंजीकरण प्रमाण-पत्र” से अभिप्राय है, इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र; 12. “विहित” से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित; 13. “राज्य सरकार” से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार; 14. “ट्रैवल एजेंट” से अभिप्राय है, व्यवसाय करने वाली कोई भी फर्म या कम्पनी या इकाई या कोई व्यक्तित, उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का केन्द्रीय अधिनियम 31) के अधीन शासित होने वाली भर्ती के व्यवसाय को कार्यान्वित करने के सिवाय, जो व्यक्तियों को विदेश भेजने से सम्बन्धित मामलों की व्यवस्था, प्रबन्धन या संचालन करना या विदेश भेजे गए व्यक्तियों से सम्बन्धित पैदा होने वाले मामलों में भी शामिल हैं और इसमें निम्नलिखित में से सभी या कोई भी मामला शामिल होगा, अर्थातः- 15. पासपोर्ट या वीजा प्रदान करने के लिए या उससे सम्बन्धित आवेदनों पर कार्यवाही करना; या 16. किसी कम्पनी, फर्म या इस प्रकार के निकायों या संस्थाओं के लिए एजेंट के रुम में निम्नलिखित कार्यकरना- 17. हवाई यात्रा टिकटों की बिक्री करना; और 18. भूमि या समुद्र के रास्त किसी विदेशी देश की यात्रा के लिए परिवहन के साधन उपलब्ध करवाना; या 19. निम्नलिखित के सम्बन्ध में विदेश जाने के इच्छुक व्यक्तियों को परामर्शी वीजा सेवा या मार्गदर्शन प्रदान करना- 20. शिक्षा प्राप्त करने; 21. पर्यटक या ट्रैवलर के रुप में सुखद यात्रा करने; 22. चिकित्सा उपचार प्राप्त करने; 23. सांस्कृतिक मनोरंजन या संगीतमय कार्यक्रमों की व्यवस्था करने ; 24. धर्म का प्रसार या प्रचार करने; 25. खेल प्रतियोगिताओं या आयोजनों में भाग लेने; या 26. ऐसा विज्ञापन देना या प्रचार करना, जो प्रकाशन, प्रसारण, संचार या इंटरनेट के माध्यम से किसी विदेशी देश के किसी भी क्षेत्र की यात्रा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से सम्बन्धित हो; या 27. प्रवास को बढ़ावा देने के लिए संगोष्ठियों का आयोजन करना या व्याख्यान देना या ऐसे प्रयोजनों के लिए सहायता प्रदान करना; या 28. प्रवास के प्रयोजनार्थ वैवाहिक गठबन्धनों या दत्तक ग्रहण की व्यवस्था करना; या 29. किसी भी प्रयोजन, चाहे जो भी हो, के लिए भारत से विदेश के लिए किसी भी व्यक्ति की यात्रा की व्यवस्था करना; या 30. खण्ड (क) से (छ) में वर्णित किसी भी प्रयोजन के लिए स्वतंत्र रुप से दलाल के रुप में कार्य करना । |
| पंजीकरण । | 1. (1) कोई भी व्यक्ति तब तक ट्रैवल एजेंट का व्यवसाय नहीं करेगा जब तक उसके इस अधिनिय के उपबन्धों के अधीन पंजीकरण प्रमाण- पत्र प्राप्त नहीं कर लिया हो ।   (2) ट्रैवल एजेंट का व्यवसाय करने का इच्छक व्यक्ति या जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर पहले से ही ऐसे व्यवसाय में है, सक्षम प्राधिकारी को ऐसी फीस और ऐसे दस्तावेजों के साथ आवेदन ऐसी रीति में, ऐसे समय के भीतर करेगा, जो विहित किया जाए ।  (3) यदि सक्षम प्राधिकारी सन्तुष्ट है कि उप-धारा (2) के अधीन किया गया आवेदन नियमानुसार है, तो यह ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन और ऐसे प्ररुप, जो विहित किया जाए, में पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगाः  परन्तु यदि सक्षम प्राधिकारी सन्तुष्ट है कि आवेदन में दिए गए ब्योरे गलत हैं या अधूरे हैं या कि पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए आवश्यक कोई साक्ष्य या जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है, तो यह आवश्यक जांच करने के बाद और आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के बाद, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से आवेदन को अस्वीकार कर सकता हैः  परन्तु यह और कि व्यक्ति, जिसका आवेदन पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने हेतु अस्वीकार कर दिया गया, सक्षम प्राधिकारी द्वारा इंगित की गई त्रुटियों को दूर करने बाद पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए दूसरा आवेदन कर सकता है ।  (4) उप-धारा (3) के अधीन किसी भी व्यक्ति को तब तक पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाएगा, जब तक इस द्वारा अपने आवेदन में दिए गए ब्योरों और दस्तावेजों का सत्यापन पुलिस द्वारा नहीं किया जाता है।  (5) पंजीकरण प्रमाण-पत्र की वैधता तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी, जो ऐसी रीति में और ऐसी अवधि, जो विहित की जाए, के लिए नवीकरणीय होगी । |
| कार्यालय या इसकी शाखा का पंजीकरण । | 1. यदि कोई व्यक्ति, जिसने ट्रैवल एजेंट का व्यवसाय करने के लिए इस अधिनियम के अधीन पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है, बाद में उसी या अन्य जिले में स्थित किसी स्थान पर दूसरा कार्यालय या उसकी शाखा खोलता है, तो उसको ऐसे कार्यालय या इसकी शाखा के लिए नया पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। |
| पंजीकरण प्रमाण-पत्र का रद्दकरण या निलम्बन । | 1. (1) सक्षम प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र को किसी व्यक्ति द्वारा इसको किए गए आवेदन या अन्यथा से प्राप्त सूचना पर रद्द कर सकता है कि ट्रैवल एजेंट,- 2. दिवालिया या ऋणशोधनाक्षम हो गया हो; या 3. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से किसी ऐसे कार्य में लिप्त हुआ है या से दुष्प्रेरित हो गया है, जो भारत के हित या इसकी सुरक्षा के लिए प्रतिकूल हो; या 4. मानव तस्करी में संलिप्त पाया गया हो या जाली दस्तावेज तैयार करने में संलिप्त पाया गया हो; या 5. किसी न्यायालय द्वारा किसी दाण्डिक अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो; या 6. किसी तात्विक तथ्य के मिथ्या निरुपण या को छिपाते हुए पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया है या का नवीकरण करवाया गया है; या 7. पंजीकरण प्रमाण-पत्र के किन्ही निबन्धनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया है; या 8. एक वर्ष की निरंतर अवधि तक ट्रैवल एजेंट का व्यवसाय करने में विफल रहा हैः   परन्तु पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द करने से पूर्व, ट्रैवल एजेंट को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा कि वह नोटिस प्राप्त होने के सात दिन के भीतर अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि उसका पंजीकरण प्रमाण-पत्र क्यों न रद्द कर दिया जाए ।  (2) यदि उप-धारा (1) के खण्ड (घ) में वर्णित कारणों से पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द कर दिया जाता है और अपील न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि को अपास्त कर दिया जाता है, जो सक्षम प्राधिकारी स्वप्रेरणा से या ट्रैवल एजेंट द्वारा इस सम्बन्ध में किए गए आवेदन पर पंजीकरण प्रमाण-पत्र बहाल कर सकता है।  (3) जहां सक्षम प्राधिकारी लेखबद्ध कारणों से सन्तुष्ट है कि उप-धारा (1) में वर्णित किसी भी आधार पर पंजीकरण प्रमाण-पत्र को रद्द करने का प्रश्न उसके पास विचारार्थ लम्बित है, तो वह लिखित आदेश द्वारा, नब्बे दिन की ऐसी अनधिक अवधि, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, के लिए पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रक्रिया को निलम्बित कर सकता है। ट्रैवल एजेंट को ऐसे आदेश की प्राप्ति की तिथि से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर कारण बताना आवश्यक होगा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा पंजीकरण प्रमाण-पत्र को रद्द करने के प्रश्न का विनिश्चय करने तक निलम्बन की अवधि क्यों न बढ़ा दी जाए।  (4) रद्दकरण या निलम्बन के आदेश पारित करने से पूर्व, सक्षम प्राधिकारी प्रवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मामले पर विचार करेगा और ऐसा आदेश, जो वह समुचित समझे, पारित कर सकता है ।  (5) इस अधिनियम के अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, जहां कोई पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया गया है, तो ऐसे ट्रैवल एजेंट को ऐसी अवधि, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाए, के लिए उसी व्यवसाय को करने से विवर्जित किया जाएगा । |
| ट्रैवल एजेंट का सक्षम प्राधिकारी को सूचित करना। | 1. (1) कोई भी ट्रैवल एजेंट, अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र का, इसके जारी किए जाने के बाद, सक्षम प्राधिकारी को तीन मास का नोटिस देते हुए किसी भी समय अभ्यर्पण कर सकता है और नोटिस की अवधि की समाप्ति पर, पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया गया समझा जाएगाः   परन्तु ट्रैवल एजेंट अपने कार्यालय या इसकी शाखा को बन्द किए जाने के आशय को दो दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाएगा, जिनमें से एक सम्बन्धित परिक्षेत्र में व्यापक प्रसार वाली क्षेत्रीय भाषा में होगा और पंजीकरण प्रमाण-पत्र के अभ्यर्पण के नोटिस के साथ ऐसे समाचार-पत्रों की प्रति साथ लगाई जाएगी ।  (2) उप-धारा (1) के अधीन पंजीकरण प्रमाण-पत्र को रद्द करने का तथ्य, सक्षम प्राधिकारी द्वारा दो दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाएगा, जिनमें से एक सम्बन्धित परिक्षेत्र में व्यापक प्रसार वाली क्षेत्रीय भाषा में होगा ।  (3) पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द होने पर, ट्रैवल एजेंट पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करते समय उसके द्वारा जमा करवाई गई फीस के प्रतिदाय का हकदार नहीं होगा।  (4) इस धारा के अधीन पंजीकरण प्रमाण-पत्र का रद्दकरण होते हुए भी, ट्रैवल एजेंट पंजीकरण प्रमाण-पत्र के रद्दकरण की तिथि से पूर्व के अपने कृत्यों, भूल और चूक के लिए दायी होगा और अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही भी की जाएगी । |
| अपील । | 1. इस अधिनियम की धारा 3 या 5 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश पारित किए जाने के नब्बे दिन के भीतर अपील प्राधिकारी को ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता हैः   परन्तु अपील प्राधिकारी नब्बे दिन की समाप्ति के बाद अगली नब्बे दिन की और अवधि के भीतर अपील ग्रहण कर सकता है, यदि उसकी सन्तुष्टि हो जाती है कि अपीलकर्ता को पर्याप्त कारणों से समय पर अपील दायर करने से रोका गया था। |
| डिजिटल कार्यवाहियां । | 1. पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने और पंजीकरण प्रमाण-पत्र के निलम्बन/रद्दकरण इत्यादि की प्रक्रिया ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में डिजिटल साधनों के माध्यम से केन्द्रीकृत वेब पोर्टल पर कार्यान्वित की जाएगी। |
| तलाशी और जब्त करने की शक्ति। | 1. यदि कोई कार्यकारी मजिस्ट्रेट, जो उपमण्डल मजिस्ट्रेट की पदवी से नीचे का न हो या कोई पुलिस अधिकारी, जो पुलिस उप अधीक्षक की पदवी से नीचे का न हो, किसी व्यक्ति द्वारा उसे दी गई और लिखित में ली गई सूचना पर कि किसी दस्तावेज या यन्त्र, जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किया गया है या कोई दस्तावेज या अन्य सामग्री, जो ऐसा अपराध करने के साक्ष्य के रुप में प्रस्तुत की जा सकती है, किसी भवन, तम्बू, पात्र, वाहन या स्थान पर रखा या छिपाया गया है, तो वह किसी भी समय- 2. ऐसे किसी भवन, तम्बू, पात्र, वाहन या स्थान में प्रवेश कर सकता है और तलाशी ले सकता है; 3. कम से कम दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में किसी भी घर के किसी दरवाजे या खिड़की को तोड़ सकता है और ऐसे प्रवेश के लिए किसी बाधा को दूर कर सकता है; 4. किसी दस्तावेज को तैयार करने में उपयोग किए गए किसी दस्तावेज या यन्त्र या पदार्थ या सामग्री को जब्त कर सकता है, जो वह इस अधिनियम के अधीन जब्त करने का कारण मानता है और उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई अन्य दस्तावेज या सामग्री, जो इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को करने का साक्ष्य हो सकती है । |
| अन्वेषण करने की शक्ति । | 1. कोई पुलिस अधिकारी, जो सहायक उप-निरीक्षक की पदवी से नीचे का न हो, अन्वेषण करेगा जो किसी व्यक्ति द्वारा उसको दी गई सूचना की तिथि से तीन मास की अवधि के भीतर उसके द्वारा पूरा किया जाएगा। पुलिस उप-अधीक्षक/ सहायक पुलिस आयुक्त की पदवी का पुलिस अधिकारी, अन्वेषण अधिकारी द्वारा किए गए अन्वेषण का सत्यापन करेगा । |
| जब्ती । | 1. इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करते हुए, न्यायालय विनिश्चय करेगा कि क्या विधिविरुद्ध अर्जित की गई सम्पत्ति जब्त करने के लिए दायी है और यदि यह इस प्रकार विनिश्चय करता है, तो रीति, जो यह उचित समझे, में उस सम्पत्ति को जब्त करने के आदेश कर सकता है। |
| दण्ड । | 1. (1) जो कोई भी मानव तस्करी करने का प्रयास करता है या में संलिप्त पाया जाता है या जाली दस्तावेज तैयार करने में संलिप्त पाया जाता है, तो कारावास, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम का नहीं होगी, किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डित किया जाएगा और दो लाख रुपए के जुर्माने, किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, से भी दण्डनीय होगा।   (2) जो कोई भी इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना ट्रैवल एजेंट का व्यवसाय करता है या इस अधिनियम के उपबन्धों की उल्लंघना करता है या इस अधिनियम की उल्लंघना में यंत्र रखता है या का उपयोग करता है, तो कारावास, जिसकी अवधि दो वर्ष से कम की नहीं हो सकेगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डित किया जाएगा और दो लाख रुपए के जुर्माने, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, से भी दण्डनीय होगा।  (3) जो कोई भी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध करने के लिए दुष्प्रेरण करता है या आपराधिक षड़यंत्र का पक्षकार है, यदि यह अपराध ऐसे दुष्प्रेरण या आपराधिक षड़यंत्र के परिणामस्वरुप कारित नहीं होता, तो उसे इस अधिनियम के अधीन ऐसे अपराध के लिए उपबन्धित कारावास की ऐसी अवधि, जो अधिकतम अवधि के एक चौथाई भाग तक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।  (4) जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, उसी उपबन्ध के अधीन किसी अपराध के लिए उसे पुनः दोषसिद्धि ठहराया जाता है, तो वह द्वितीय और उसके पश्चात्वर्ती प्रत्येक अपराध के लिए, उस अपराध के लिए उपबन्धित शास्ति से दुगुनी शास्ति से दण्डनीय होगा। |
| अपराधों का संज्ञेय तथा अजमानतीय होना । | 1. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम2) मे दी गई किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय तथा अजमानतीय होंगे । |
| मुआवजा । | 1. धारा 12 के अधीन यथा उपबन्धित कोई शास्ति अधिरोपित करने के अतिरिक्त, न्यायालय व्यथित व्यक्ति को ट्रैवल एजेंट द्वारा भुगतान किए जाने वाले मुआवजे की उपयुक्त राशि भी प्रदान कर सकता है। |
| कंपनियों द्वारा अपराध। | 1. (1) यदि इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कंपनी है, तो प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध कारित होने के समय पर कंपनी का प्रभारी था, और कंपनी के प्रति इसके कारबार के संचालन के लिए जिम्मेवार था, के साथ-साथ कंपनी को अपराध का दोषी समझा जाएगा तथा आगामी कार्यवाही तथा तदनुसार दण्डित किए जाने के लिए दायी होगा/ होगीः   परन्तु इस उप- नियम मे दी गई कोई भी बात, इस अधिनियम में उपबन्धित किसी दण्ड हेतु किसी ऐसे व्यक्ति को दायी नहीं बनाएगी, यदि वह सिद्ध कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या कि उसने अपराध को कारित होने से रोकने हेतु सभी सम्यक् तत्परता का प्रयोग किया था।  (2) उप-धारा (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह सिद्ध हो जाता है कि अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या किसी अन्य अधिकारी की सहमति से या की मौनानुकूलता, या के भाग पर किसी उपेक्षा के कारण किया गया है, तो ऐसे निदेशक, प्रबन्धक, सचिव, या किसी अन्य अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा तथा आगामी कार्यवाही तथा तदनुसार दण्डित किए जाने के लिए दायी होगा। |
| किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना दण्ड । | 1. इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दण्ड, किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा, जो ऐसे अपराध के संबंध में इस अधिनियम के अधीन की गई या की जा सकती है। |
| नियम बनाने की शक्ति । | 1. (1) राज्य सरकार, राजपत्र मे अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु नियम बना सकती है।   (2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा । |
| अन्य विधियों का प्रभाव । | 1. इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध, तत्समय लागू किसी अन्य विधि में या किसी अन्य विधि के कारण प्रभाव किसी करार या अन्य लिखत में दी गई किसी बात से असंगत होते हुए भी प्रभावी होंगे । |
| सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण । | 1. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात या जारी किए गए किसी आदेश के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी । |
| कठिनाईयां दूर करने की शक्ति । | 1. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी रुप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से अनअसंगत ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो इसे ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होः   परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से दो वर्ष की समाप्ति के बाद, इस धारा के अधीन कोई भी आदेश नहीं किया जाएगा।  (2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।  उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण |

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

जबकि, यह देखने में आया है कि हरियाणा के निर्दोष और बेरोजगार युवाओं को नाजायज तरीकों से बड़े पैमाने पर अवैध अप्रवास के जाल में फंसाया जा रहा है। बेईमान और अपंजीकृत ट्रैवल एजेंट ऐसे व्यक्तियों को विदेशों में आसान और त्वरित आप्रवासन का वादा करके धोखा देते हैं। ये एजेंट विदेशों में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से प्रस्ताव पत्र के जरिए वर्क वीजा, वर्क परमिट, स्टडी वीजा की व्यवस्था करने का वादा करते हैं, लेकिन कई मामलों में, वे अपने वादे पूरे करने में विफल रहते हैं। कई मामलों में, ये एजेंट नकली प्रस्ताव पत्र प्रदान करते हैं और कभी-कभी नकली या गैर-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या कॉलेज भी बनाते हैं। वे अत्यधिक फीस वसूलते हैं और विभिन्न चरणों में बड़ी रकम की मांग करते हैं। कई बार ये एजेंट निर्दोष व्यक्तियों को अवैध तरीके से विदेश भेज देते हैं और ऐसे लोगों को उन देशों की पुलिस पकड़कर सलाखों के पीछे डाल देती है, इसलिए ऐसे ट्रैवल एजेंटों की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने की सख्त जरूरत है।

जनता के व्यापक हित में, एक कानून यानी 'हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन अधिनियम, 2024' जो कि ट्रैवल एजेंटों की गैरकानूनी और धोखाधड़ी वाली गतिविधियों की जांच एवं निगरानी करने, ऐसे लोगों को दंडित करने, कानून के अनुसार गलत काम करने वालों के लिए एक तंत्र की स्थापना करेगा और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए यह आवश्यक है। इसलिए यह विधेयक प्रस्तुत है ।

(अनिल विज)

गृह मंत्री, हरियाणा

**लोक कार्य से सम्बन्धित प्रस्ताव का नोटिस**

मैं ट्रैवल एजेंटों की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, अखण्डता सुनिश्चित करने और उनकी अवैध और कपटपूर्ण गतिविधियों की जांच करने और अंकुश लगाने, हरियाणा राज्य के निवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए ढांचा स्थापित करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन अधिनियम, 2024 के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव का नोटिस देता हूः

(i) हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन अधिनियम, 2024 को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए;

(ii) विधेयक पर विचार किया जाए;

(iii) विधेयक पारित किया जाए।

(अनिल विज)

गृह मंत्री, हरियाणा

**प्रत्यायोजित विधान के संबंध में ज्ञापन**

हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन अधिनियम, 2024 के खण्ड 17 की धारा की अपेक्षा अनुसार राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। इस अधिनियम के तहत बनाए गए प्रत्येक नियम को पहले जैसे ही बनाया जाएगा, उसके बाद राज्य विधान सभा में रखा जाएगा। इसलिए, हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 126 के अधीन आवश्यक रुप से प्रत्यायोजित कानून के बारे में ज्ञापन।

**(अनिल विज)**

**गृह मंत्री, हरियाणा**